न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3098 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0–47/2020 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–81/2018–19 से संबंधित अभिलेख कुल–50 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– श्री जीबू राय उर्फ जीवनारायण राय, पिता–स्व0 सोमन राय / रामसागर महतो, पिता–स्व0 दशाय महतो उर्फ मोहन महतो सभी सा0–मझारी, थाना–निर्मली, जिला–सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
17/10/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः-47/2020

जीबू राय.....अपीलकर्त्ता

-बनाम-

रामसागर महतों एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद जीबू राय उर्फ जीवनारायण राय पिता-स्व0 सोमन राय, सा0-मझाड़ी, थाना-निर्मली, जिला-सुपौल के द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय सक्षम प्राधिकार -सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली के द्वारा दायर भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-81/2018-19 रामसागर महतों बनाम जीबू राय वगैरह में दिनांक 24.04.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध रामसागर महतों, पिता-स्व0 दशाय महतों उर्फ मोहन महतों, सा0-मझाड़ी थाना-निर्मली, जिला-सुपौल को प्रतिवादी बनाते हुए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	चौहद्दी
मझाड़ी	202	2877	1.37 डी0	उत्तर-डोमी राय दक्षिण-सड़क पूरब-रामचरित्तर राय पश्चिम-राजो राय व डोमी राय

अपीलार्थी का मूलरूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि समेत अन्य जमीन मधुकर राय पे0-लालजी राय व मसो0 बुधनी, पति-प्रीतम राय एवं जशोधा देवी, पति-स्व0 गोदाय उर्फ गोपाली राय की पैत्रिक जमीन थी। उक्त भूमि सहित अन्य जमीन लगभग-10 बिगहा जमींदार द्वारा रेंट सूट नं0-520/1944 वो नीलाम पत्र वाद सं0-198/47 के द्वारा नीलाम कर दिया गया, जिसे जयनाथमल चिड़ौड़िया ने खरीद कर जमाबंदी अपने नाम करवा लिया। पूर्व के जमाबंदी रैयत के वंशज मधुकर राय, पिता-स्व0

लालजी राय द्वारा बकास्त वापसी मुकदमा बकास्त पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में दायर किया गया, जिसका मुकदमा नं0-75/1963-64 है। उक्त वाद में पूर्व के जमाबंदी रैयत के वंशज को नीलामी की भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार पुनः प्रश्नगत भूमि जमाबंदी रैयत मधुकर राय के नाम से 2-10-3-10 धूरकी, जमाबंदी सं0-293 वो मसो0 बुधनी की मवाजी 2-10-3-10 धूरकी की जमाबंदी 294 तथा मसो0 जसोदा देवी को 4-6-19-10 धूरकी की जमाबंदी सं0-295 कायम कर दी गई तथा उनलोगों के दखल कब्जा में चली आयी। अपीलार्थी का कहना है कि सरकार द्वारा जयनाथमल चिड़ौड़िया के नाम अधिक जमीन होने के कारण सिलिंग के तहत गलती से उक्त जमीन को भी जब्त कर लिया गया जबकि जयनाथमल चिड़ौड़िया की नीलामी से खरीदगी जमीन को पुनः वकास्त वापसी के द्वारा पूर्व से खतियानदार के वंशज के नाम जमाबंदी कायम कर दिया गया। इसके बावजूद तीनों जमाबंदी नं0-293, 294 एवं 295 के रैयत व वारिसानों ने प्रश्नगत जमीन को सिलिंग से मुक्त करवाने हेतु सिलिंग वाद-65/1983-84 अपर समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में दायर किया, जिसमें पारित आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि को सिलिंग से मुक्त कर दिया गया। इसी बीच बिहार सरकार अंचल-निर्मली द्वारा जयनाथमल चिड़ौड़िया के जमाबंदी की सिलिंग के तहत जब्त जमीनों को बिल्कुल गलत ढंग से बिना जाँच पड़ताल किए कई लोगों को पर्चा दे दिया गया, जिसमें प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उक्त औपबंधिक परवाना के आधार पर विपक्षी सं0-01 के नाम से गलत ढंग से कायम कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि विपक्षीगण के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु एक वाद सं0 -22/1998-99 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में उनलोगों के द्वारा दायर किया गया, जिसमें संबंधित अंचल से जाँच रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी के नाम औपबंधिक परवाना के आधार पर कायम जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि जशोदा देवी पति-गोदय उर्फ गोपाली राय निःसंतान गुजर गई, जिस कारण जशोदा देवी के नाम कायम जमाबंदी नं0-295 की तमाम जमीन पर मधुकर राय वो प्रीतम राय हकदार वो दखलकार हुए। मधुकर राय वो प्रीतम राय से बाजिब जरसम्मन पाकर प्रश्नगत जमीन मवाजी 1-13-11 (1.37 डी0) जमीन को निबंधित केवाला सं0-1583 दिनांक 06.02.1968 के द्वारा महादेव राय पे0-हरदयाल राय वो परमादेवी पति-ठीठर राय के हाथ बिक्री कर दिया किन्तु जमाबंदी यशोदा देवी के नाम से पूर्ववत चलती आ रही है। पुनः महादेव राय एवं परमा देवी ने प्रश्नगत जमीन को अपीलार्थी के हाथ

बाजिब जरसम्मन पाकर केवाला दस्तावेज सं0-3554/1980 के द्वारा बिक्री कर दिया तथा अपीलार्थी का दखल कब्जा कायम हुआ वो चला आ रहा है, लेकिन जमाबंदी पूर्व की भांति जशोदा देवी के नाम से चलती आ रही है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी सं0-01 के द्वारा भमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-81/2018-19 दायर किया तथा निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को जबाव तथा साक्ष्य सबूत दाखिल करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दक्षिण पूरब से नींव पर निर्मित्त फूस का घर है तथा कुछ जमीन पर गोहाल आदि है, जिसपर वे खरीदगी के समय से ही रहने चले आ रहे हैं। उक्त के आलोक में उनके द्वारा अपने पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न कागजात समर्पित किया गया है:-

1.लगान रसीद जमाबंदी सं0-295 नामे मसो0 जसोदा देवी-2 प्रति (वर्ष-2016-17, 2002-03)।

2.निबंधित केवाला सं0-3554/1980 लेख्यधारी जीवनारायण राय।

3.बकास्त वापसी मुकदमा नं0-75/1963-64 के बजाप्ता नकल की छायाप्रति।

4.भूमि विवाद सं0-81/2018-19 के आदेश फलक तथा नकल की छायाप्रति।

5.विविध वाद सं0-62/2005 के भू-हदबन्दी वाद में अंचलाधिकारी निर्मली से निर्गत आदेश।

6.बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजट की छायाप्रति।

विपक्षी सं0-01 रामसागर महतों की ओर से दाखिल लिखित बहस में उनका मुख्य रूप से कहना है कि अपीलार्थी विपक्षीगण को प्राप्त औपबंधिक पर्चा को स्वीकार करते हैं। विपक्षीगण का कहना है कि वे गरीब एवं भूमिहीन है तथा सभी स्तर से जाँचोपरान्त दिनांक 20.06. 1976 को औपबंधिक पर्चा वाली भूमि पर उनलोगों को दखल दिया दिया गया। उक्त पर्चा के आधार पर जमाबंदी सं0-138 कायम हुआ तथा अद्यतन लगान रसीद नं0-190620220129270230 85 भी प्राप्त है। कभी भी अपीलार्थी के द्वारा पर्चा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया बिहार प्रिविलेज पर्सन होमस्टीड टिनेन्सी एक्ट 1947 के तहत दफा-21 में समाहर्त्ता को औपबंधिक पर्चा के विरूद्ध सुनवाई का

प्रावधान है किन्तु अपीलार्थी के द्वारा उनके समक्ष वाद दायर नहीं किया गया। न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल के द्वारा औपबंधिक पर्चा को सही पाते हुए संबंधित अंचलाधिकारी को नापी कराकर विपक्षीगण को दखल कब्जा दिलाने हेतु आदेश पारित किया। उक्त आदेश के अनुपालन में भू-नापी वाद सं0-38/2021-22 से नापी का निष्पादन कर दिनांक 04.12.2021 के नापी प्रतिवेदन में लिखा गया है कि अपीलार्थी विपक्षी रामसागर महतों वगैरह को दखल कब्जा नहीं होने देते हैं। अपीलार्थीगण पैसे वाले दबंग आदमी है, जिसके बल पर दखल कब्जा बनाये हुए हैं। उक्त के आलोक में उनके द्वारा औपबंधिक पर्चा दिनांक 20.06.1976 को बरकरार रखते हुए पर्चा में निहित खाता, खेसरा पर दखल दिलाते हुए निम्न न्यायालय आदेश को बरकरार रखने तथा प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि विपक्षी को प्रश्नगत भूमि औपबंधिक परबाना से प्राप्त है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो औपबंधिक परबाना पर्चा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

17/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

17/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।